

**मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

// आदेश //

भोपाल दिनांक 16 अप्रैल, 2010

क्रमांक एफ 1-124-2010-1-38 राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों हेतु पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 29.10.09 एवं 18.12.09 को निरस्त करते हुये भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) के परिपत्र क्रमांक 1-32/ 2006-U.II/U.(i), नई दिल्ली, दिनांक 31.12.08, परिपत्र क्रमांक एफ. 3-1/2009-U.I, दिनांक 4 जून, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1-6/2009/PRC, दिनांक 27 फरवरी, 2009 एवं भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों /अनुदेशों के अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, ग्रंथपालों तथा क्रीड़ा अधिकारियों एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों, कुलसचिवों, शिक्षकों, ग्रंथपालों एवं क्रीड़ा अधिकारियों (जिन्हें पूर्व से यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त हैं, और नियमित सेवा में हैं) के लिये दिनांक 1.1.2006 से निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करता है:-

शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान

स. क्र.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	सहायक प्राध्यापक	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
2.	सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
3.	सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
4.	सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
5.	एसोसिएट प्रोफेसर / सह प्राध्यापक	-----	Rs. 37400-67000+AGP 9000
6.	प्राध्यापक	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 10000 (देखें परिशिष्ट -1)
7.	प्राचार्य (स्नातक स्तर)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 10000 +Special Allowance 2000
8.	प्राचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	Rs. 16400-450-20900-500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000 +Special Allowance 3000
9.	ग्रंथपाल	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000

85

10.	ग्रंथपाल (वरिष्ठ वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
11.	ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
12.	ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
13.	कीड़ा अधिकारी	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
14.	कीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
15.	कीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
16.	कीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000

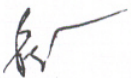
विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान

स. क.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	सहायक प्राध्यापक	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
2.	सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
3.	सहा. प्राध्यापक/ रीडर (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
4.	एसोसिएट प्रोफेसर (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	--	Rs. 37400-67000+AGP 9000
5.	प्रोफेसर	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000
6.	सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा)	Rs. 8000-125-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
7.	सहायक संचालक (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
8.	सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
9.	सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000

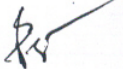
Rs

10.	संचालक (शारीरिक शिक्षा) (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000
11.	सहायक ग्रंथपाल	Rs. 8000-125-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
12.	सहायक ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
13.	उप ग्रंथपाल /सहायक ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15000-39100+AGP 8000
14.	उप ग्रंथपाल/सहायक ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
15.	ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000
16.	कुल सचिव	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000 (देखें परिशिष्ट -1)
17.	कुलपति	Rs 25000/- निश्चित वेतनमान	Rs 75000/- निश्चित वेतनमान +Special Allowance 5000

- पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान में 01.01.06 के पश्चात सेवा में प्रवेश करने पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 में अकादमिक ग्रेड वेतन रुपये 6000 देय होगा ।
- यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण करने पर—
 - अकादमिक ग्रेड वेतन 7000 रुपये में स्थानन हेतु 06 वर्ष के न्यूनतम सेवाकाल की अर्हता होगी । संबंधित विषय में पीएच.डी. तथा एम. फिल. उपाधि धारकों के लिए यह सेवाकाल कमशः 04 वर्ष एवं 05 वर्ष होगी ।
 - अकादमिक ग्रेड वेतन 8000 रुपये में स्थानन हेतु अकादमिक ग्रेड वेतन 7000 रुपये में 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की अर्हता होगी ।
 - अकादमिक ग्रेड पे 8000 रुपये में तीन वर्ष पूर्ण करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रुपये के साथ वेतन बैंड 37400-67000 रुपये में निर्धारण तथा सह प्राध्यापक पदनाम की पात्रता होगी ।
 - पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान में पे-बैंड रुपये 37400-67000+अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रुपये में तीन वर्ष पूरे करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 10,000 रुपये की पात्रता होगी ।
- पुराने वेतनमान के आधार पर 31-12-2008 की स्थिति में सीधी भर्ती से/पदोन्नति से पदोन्नत प्राध्यापक पुनरीक्षित वेतनमान में भी पदोन्नत माने जायेंगे । पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगे पदोन्नति के लिए यू.जी.सी. के द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा ।



4. पुराने वेतनमान रूपये 12000-420-18300 में तीन वर्ष से अधिक से सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान में 37400-67000+अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रूपये में स्थानन/निर्धारण की पात्रता होगी तथा इनका पदनाम सह प्राध्यापक होगा ।
5. (अ) पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में डि.लिट./डी.एससी./पीएच.डी. तथा एम.फिल. उपाधि धारकों को कमशः 05 तथा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी ।
(ब) सेवारत रहते हुए डि.लिट./डी.एससी./पीएच.डी. तथा एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने पर कमशः 03 तथा 01 अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी ।
(स) दिनांक 1.1.06 से पूर्व डि.लिट./डी.एससी./पीएच.डी. तथा एम.फिल. उपाधि धारकों को जिन्हें पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है पुनरीक्षित वेतनमान में अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
6. भत्तों का भुगतान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय भत्तों के समान तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जावेगा ।
7. वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, केरियर एडवांसमेंट स्कीम आदि भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1-32/2006-U.II/U.(i), नईदिल्ली, दिनांक 31.12.08 एवं परिपत्र क्रमांक एफ. 3-1/ 2009-U.I, दिनांक 4 जून, 2009 में दर्शाये फिटमेंट टेबल एवं संलग्न (परिशिष्ट -1) के अनुरूप किया जायेगा । वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से की जावेगी । वेतन निर्धारण के पूर्व निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र, विकल्प पत्र, प्रतिभूति आदि (परिशिष्ट-2,3,4,5,6) की पूर्ति करवाना आवश्यक होगा ।
8. दिनांक 1.1.2006 से 31.3.2010 तक के एरियर का 80 % व्ययभार केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाएगा । एरियर्स का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्राप्त होने के बाद किया जायेगा जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।
9. शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे सहायक ग्रंथपाल जिनको पांचवां यू. जी.सी. वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, उनके संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।
10. विश्वविद्यालयों में छठवा वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप आने वाले वित्तीय भार के लिये शासन द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जावेगा । इस हेतु विश्वविद्यालय अपने वित्तीय संसाधन बढ़ायें अथवा स्वीकृत पदों में कमी कर संसाधनों की उपलब्धता के अंतर का समायोजन करें ।
11. भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31-12-2008 की अनुशंसाओं के अनुरूप कंडिका-8 एफ(iii) के अनुसार क्लासरूम टीचिंग में संलग्न स्टाफ की अधिवार्षिकी आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाती है । अतः आदेश जारी होने के दिनांक से क्लासरूम टीचिंग में संलग्न स्टाफ को सेवानिवृत्त न किया जाय । नॉन-टीचिंग स्टाफ-ग्रंथपालो, क्रीड़ा अधिकारियों, अन्य प्रशासनिक पदो पर कार्यरत



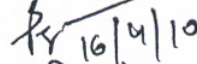
अधिकारी संवर्ग आदि हेतु अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष यथावत रहेगी । इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

12. भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31-12-2008 की अनुशंसाओं के अनुरूप कंडिका 8 एफ (i) के अनुसार कुलपतियों की अधिवार्षिकी आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है जिसके संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे। अतः आदेश जारी होने के दिनांक से 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने वाले कुलपतियों को सेवानिवृत्त न किया जाय ।
13. वर्तमान में प्राप्त वेतनमान के संगत वेतनमान में ही वेतन निर्धारण किया जाएगा । स्थानन के आदेश पूर्वानुसार शासन स्तर से प्रसारित किये जायेंगे ।
14. यदि संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण में किसी अधिकारी का वेतन ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके समान केडर के कनिष्ठ से कम है तब मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8-2009-नियम/चार दिनांक 28 फरवरी, 2009 के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा ।
15. 01.01.2006 की स्थिति में अवकाश/प्रतिनियुक्ति/निलम्बन होने की स्थिति में वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा ।
16. यह सहमति वित्त विभाग के यू. ओ. क्र० CR 407/ B- 3/ 2010 दिनांक 15.4.2010द्वारा प्रदान की गई ।

संलग्न:-उपरोक्तनुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्रबल सिपाहा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्र० एफ 1-124/2009/1/38,

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2010

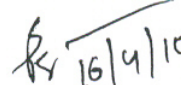
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन सी. विंग, नई दिल्ली ।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग ।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा ।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

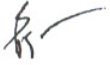


8. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त कुलसचिव, विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
12. आयुक्त, (कोष एवं लेखा) उच्च शिक्षा भोपाल ।
13. समस्त अतिरिक्त संचालक/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. ।
14. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र. ।
16. _____

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

 16/4/10
उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग



परिशिष्ट- 1 (संलग्न टेबल 1 से 6 तक)

TABLE – 1 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
(i) Assistant Professor	(i) Assistant Professor
(ii) Librarian	(ii) Assistant Librarian
(iii) Sports Officer	(iii) Assistant Director, Physical Education

TABLE – 2 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
(i) Assistant Professor- Senior Scale	(i) Assistant Professor- Senior Scale
(ii) Librarian- Senior Scale	(ii) Assistant Librarian- Senior Scale
(iii) Sports Officer- Senior Scale	(iii) Assistant Director, Physical Education- Senior Scale

TABLE – 3 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
(i) Assistant Professor- less than 3 years in Selection Grade	(i) Reader/ Assistant Professor less than 3 years in Selection Grade
(ii) Librarian- less than 3 years in Selection Grade	(ii) Deputy Librarian/Assistant Librarian less than 3 years in Selection Grade
(iii) Sports Officer- less than 3 years in Selection Grade	(iii) Deputy Director/Assistant Director Physical Education less than 3 years in Selection Grade

TABLE – 4 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
(i) Professor**	(i) Reader/ Assistant Professor more than 3 years in Selection Grade
(ii) Assistant Professor- more than 3 years in Selection Grade	(ii) Deputy Librarian/Assistant Librarian more than 3 years in Selection Grade
(iii) Librarian- more than 3 years in Selection Grade	(iii) Deputy Director/Assistant Director Physical Education more than 3 years in Selection Grade
(iv) Sports Officer- more than 3 years in Selection Grade	
** सीधी भर्ती या पदोन्नति से बने प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए जाने / पदोन्नत किए जाने के आदेश दिनांक से अकादमिक ग्रेड वेतन रु 10000 देय होगा।	

TABLE – 5 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
Principal (PG)	(i) Professor
	(ii) Librarian
	(iii) Director Physical Education
	(iv) Registrar**
	** विश्वविद्यालयीन कुलसचिव का वेतन निर्धारण फिटमेंट टेबल-5 अनुसार किया जाए।

TABLE – 6 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
Principal (UG)	

TABLE – 1 of MHRD's letter 04.06.09

For Colleges	For Universities
(iv) Assistant Professor	(iv) Assistant Professor
(v) Librarian	(v) Assistant Librarian
(vi) Sports Officer	(vi) Assistant Director, Physical Education

PRE-REVISED SCALE 8000-275-13500	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 15600-39100+AGP 6000		
		REVISED PAY	
PRE-REVISED	PAY IN THE	ACADEMIC	REVISED
BASIC PAY	PAY BAND	GRADE PAY	BASIC PA
8000	15600	6000	21600
8275	15600	6000	21600
8550	15910	6000	21910
8825	16420	6000	22420
9100	16930	6000	22930
9375	17440	6000	23440
9650	17950	6000	23950
9925	18470	6000	24470
10200	18980	6000	24980
10475	19490	6000	25490
10750	20000	6000	26000
11025	20510	6000	26510
11300	21020	6000	27020
11575	21530	6000	27530
11850	22050	6000	28050
12125	22560	6000	28560
12400	23070	6000	29070
12675	23580	6000	29580
12950	24090	6000	30090
13225	24600	6000	30600
13500	25110	6000	31110



सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

निरंतर पेज 3 पर

TABLE - 2

For Colleges	For Universities
(iv) Assistant Professor- Senior Scale	(iv) Assistant Professor- Senior Scale
(v) Librarian- Senior Scale	(v) Assistant Librarian- Senior Scale
(vi) Sports Officer- Senior Scale	(vi) Assistant Director, Physical Education- Senior Scale

PRE-REVISED SCALE 10000-325-15200	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 15600-39100+AGP 7000		
		REVISED PAY	
PRE-REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	ACADEMIC GRADE PAY	REVISED BASIC PA
10000	18600	7000	25600
10325	19210	7000	26210
10650	19810	7000	26810
10975	20420	7000	27420
11300	21020	7000	28020
11625	21630	7000	28630
11950	22230	7000	29230
12275	22840	7000	29840
12600	23440	7000	30440
12925	24050	7000	31050
13250	24650	7000	31650
13575	25250	7000	32250
13900	25860	7000	32860
14225	26460	7000	33460
14550	27070	7000	34070
14875	27670	7000	34670
15200	28280	7000	35280



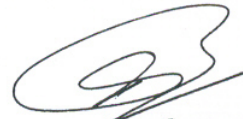
सहायक शिक्षक
उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर पेज 4 पर

TABLE - 3

For Colleges		For Universities	
(iv)	Assistant Professor- less than 3 years in Selection Grade	(iv)	Reader/ Assistant Professor less than 3 years in Selection Grade
(v)	Librarian- less than 3 years in Selection Grade	(v)	Deputy Librarian/Assistant Librarian less than 3 years in Selection Grade
(vi)	Sports Officer- less than 3 years in Selection Grade	(vi)	Deputy Director/Assistant Director Physical Education less than 3 years in Selection Grade

PRE-REVISED SCALE 12000-420-18300	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 15600-39100+AGP 8000		
		REVISED PAY	
PRE-REVISED	PAY IN THE	ACADEMIC	REVISED
BASIC PAY	PAY BAND	GRADE PAY	BASIC PAY
12000	22320	8000	30320
12420	23110	8000	31110
12840	23890	8000	31890
13260	24670	8000	32670
13680	25450	8000	33450
14100	26230	8000	34230
14520	27010	8000	35010
14940	27790	8000	35790
15360	28570	8000	36570
15780	29360	8000	37360
16200	30140	8000	38140
16620	30920	8000	38920
17040	31700	8000	39700
17460	32480	8000	40480
17880	33260	8000	41260
18300	34040	8000	42040



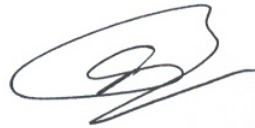
अध्यक्ष सचिव
महानगर प्रमुख धामन
उच्च शिक्षा विभाग.

निरंतर पेज 5 पर

TABLE - 4

For Colleges	For Universities
(v) Professor**	(iv) Reader/ Assistant Professor more than 3 years in Selection Grade
(vi) Assistant Professor- more than 3 years in Selection Grade	(v) Deputy Librarian/Assistant Librarian more than 3 years in Selection Grade
(vii) Librarian- more than 3 years in Selection Grade	(vi) Deputy Director/Assistant Director Physical Education more than 3 years in Selection Grade
(viii) Sports Officer- more than 3 years in Selection Grade	
** सीधी भर्ती या पदोन्नति से बने प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए जाने / पदोन्नत किए जाने के आदेश दिनांक से अकादमिक ग्रेड वेतन रु 10000 देय होगा।	

PRE-REVISED SCALE 12000-420-18300	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 37400-67000+AGP 9000		
PRE-REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	REVISED PAY ACADEMIC GRADE PAY	REVISED BASIC PAY
14100	37400	9000	46400
14520	37400	9000	46400
14940	38530	9000	47530
15360	38530	9000	47530
15780	39690	9000	48690
16200	39690	9000	48690
16620	40890	9000	49890
17040	40890	9000	49890
17460	42120	9000	51120
17880	42120	9000	51120
18300	43390	9000	52390



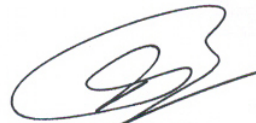
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

निरंतर पेज 6 पर

TABLE - 5

For Colleges	For Universities
Principal (PG)	(v) Professor (vi) Librarian (vii) Director Physical Education (viii) Registrar**
	** विश्वविद्यालयीन कुलसचिव का वेतन निर्धारण फिटमेंट टेबल-5 अनुसार किया जाए।

PRE-REVISED SCALE 16400-450-20900-500- 22400	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 37400-67000+ AGP 10000		
PRE-REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	REVISED PAY ACADEMIC GRADE PAY	REVISED BASIC PA
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870
22400	48870	10000	58870



अपर सचिव

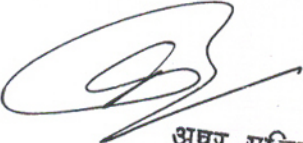
मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर पेज 7 पर

TABLE - 6

For Colleges		For Universities	
Principal (UG)			

PRE-REVISED SCALE 12000-420-18300	REVISED PAY BAND+ AGP RS. 37400-67000+AGP 10000		
		REVISED PAY	
PRE-REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	ACADEMIC GRADE PAY	REVISED BASIC PAY
12840	37400	10000	47400
13260	37400	10000	47400
13680	37400	10000	47400
14100	37400	10000	47400
14520	37400	10000	47400
14940	38530	10000	48530
15360	38530	10000	48530
15780	39690	10000	49690
16200	39690	10000	49690
16620	40890	10000	50890
17040	40890	10000	50890
17460	42120	10000	52120
17880	42120	10000	52120
18300	43390	10000	53390


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग.

परिशिष्ट-2

विकल्प का प्रारूप
(नियम 6 देखें)

(i) मैं.....दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू
संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ/करती हूँ ।

(ii) मैं..... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे
दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन
करता/करती हूँ जब तक कि :-

मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन

.....रूपये हो जाए ।

मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूँ/छोड़ दूँ ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कर्यरत कार्यालय का नाम.....

.....

दिनांक.....

स्थान.....

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

..... द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक

को प्राप्त हुआ है ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-3

प्रपत्र-एक

यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत वेतन नियतन पत्रक

- 1 नाम
- 2 पदनाम
- 3 वेतन स्थाई/स्थानापन्न
- 4 नियम-6 के अन्तर्गत विकल्प के अनुसार
पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन का दिनांक
- 5 मौजूदा वेतनमान
- 6 लागू वेतन बैंड
- 7 दिनांक 01/01/2006 को मौजूदा मूल वेतन
- 8 दिनांक 1/1/2006 अथवा विकल्प की तिथि को मूल वेतन
अथवा विकल्प तिथि को मौजूदा मूल वेतन तथा 01.01.06
स्वीकृत मंहगाई भत्ता जोड़कर परिलब्धियां
- 9 कुल परिलब्धियां (कॉलम 7 एवं 8 का योग)
- 10 मौजूदा मूल वेतन (कॉलम 7) का 1.86 गुणक
द्वारा गुणा करने के बाद प्रकल्पित वेतन
- 11 वेतन बैंड में वेतन (कॉलम 9 या 10 में से जो अधिक हो)
- 12 बंचिंग यदि लागू हो के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन
बैंड में वेतन
- 13 वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन
- 14 संशोधित वेतन (वेतन बैंड में वेतन
और ग्रेड वेतन को जोड़कर)
- 15 आगामी वेतन वृद्धि की तिथि

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

परिशिष्ट-4
प्रपत्र-दो

दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत जांच के लिये वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या सूचक जानकारी का पत्रक

कार्यालय का नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों का दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन किया जाकर उनके वेतन नियतन प्रकरण जांच के लिये तैयार हैं :

आहरण अधिकारी के पदनाम की सील	कार्यालय में पुनरीक्षित वेतनमानों में कुल वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या	वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या जो जांच के लिये तैयार है	अवशेष प्रकरणों की संख्या (2)-(3)	जांच के लिये प्रकरण तैयार न होने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख एवं
पद मुद्रा
दिनांक.....

क्रमांक.....

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन.....
2. विभागाध्यक्ष.....

कार्यालय प्रमुख

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-तीन
वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन ढाँचे में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई हो, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिये मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे।

साक्षी:-

हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी

हस्ताक्षर:-

पदनाम

पता:-

स्थान

दिनांक.....

दिनांक.....

परिशिष्ट-6
प्रपत्र-चार
प्रतिभूति का प्रारूप

श्री / श्रीमती / कुमारी.....पदनाम.....
कार्यालय.....को
यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन ढाँचे में वेतन
नियतन होने के कारण दिनांक.....से दिनांक.....तक रुपये
.....रुपये.....(शब्दों में) की अवशेष राशि
(एरियर) का भुगतान किया जा रहा है ।

हम श्री / श्रीमती / कुमारी.....एवं
श्री / श्रीमती / कुमारी.....कार्यालय.....
.....की स्थापना के स्थाई कर्मचारी हैं तथा क्रमशः वेतन राशि
रुपये.....(शब्दों में) रुपये
प्रतिमाह आहरण करते हुये हम श्री / श्रीमती / कुमारी.....
को प्रतिभू होंगे के लिये यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि हम
श्री / श्रीमती / कुमारी.....को उपरोक्तानुसार एरियर्स का
भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि शासन के नियम के अनुरूप अधिक
भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त कर्मचारी अधिक भुगतान की गई राशि
को लौटाने में असमर्थ रहता है तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं
को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस
प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं । हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे
द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग-अलग भू-राजस्व की
बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे ।

आज दिनांकमाह.....सन् 2010 को हस्ताक्षरित
किया गया ।

साक्षी:-

हस्ताक्षर

1.....

नाम

पदनाम

2

नाम.....

पदनाम

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर

नाम व पद नाम.....

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम.....

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम.....

(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिये